

2011
E-Mail

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-1/राज/एफ./2/11/17
प्रति,

भोपाल दिनांक 17/1/11

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ,
संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:—मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 (1) अंतर्गत अचल सम्पत्ति की जानकारी की पोर्टल में प्रविष्टि एवं हार्डकापी के संधारण विषयक ।

संदर्भ:—म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक/सी-5-1/2010/3/1 दिनांक 15 फरवरी 2010


-///-

म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संदर्भित ज्ञाप के अनुक्रम में म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को नियम 19 (1) में समस्त शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण को विभागीय पोर्टल पर दिनांक 31.01.2011 तक अपलोड किया जाना है । यदि कोई शासकीय सेवक नियम 19 (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

तदनुसार म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संदर्भित संलग्न ज्ञाप एवं निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर निर्देशित है कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ/संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 24.01.2011 तक अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराये ।

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अंतर्गत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य उ0मा0वि0/हाई स्कूल के अचल सम्पत्ति विवरण की प्रविष्टि पोर्टल में समयावधि में कराई जावे एवं पोर्टल में प्रविष्टि उपरान्त हार्डकापी संचालनालय को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ अविलंब प्रस्तुत करें कि उनके संभाग/जिला अंतर्गत किसी भी प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी के अचल सम्पत्ति विवरण की जानकारी लेना शेष नहीं है एवं समस्त लोक सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण की प्रविष्टि पोर्टल में कर दी गई है ।

दिनांक: 17/1/11


उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-1/2010/3/एक.

भापाल, दिनांक 15 फरवरी, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय : शासकीय सेवकों के अचल सम्पत्ति विवरण कम्प्यूटर वेबसाइट पर उपलब्ध कराना।

संदर्भ : इस विभाग का इशपन क्र. सि-5/94/3/1 दिनांक 5.01.1994

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को लागू किये गये हैं। उपरोक्त नियमों के नियम 19(1) में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहली बार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अंतरालों पर, जो शासन द्वारा उल्लेखित किये जायें अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां देते हुये ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किये जायें, प्रस्तुत करेगा-

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई (inherited) या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित रथावर (अचल) सम्पत्ति।

(उपरोक्त उपनियम (1), चतुर्थ केंद्रों के सेवकों के लिये लागू नहीं।)

2. संदर्भित शासन दिनांक 05.01.1994 द्वारा यथा निर्दिष्ट जारी किये गये थे कि प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा। विहित प्रपत्र संलग्न है। यदि कोई शासकीय सेवक उपनियम-19(1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो इसे अवचार मानकर उसके विरुद्ध आचरण नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

3. शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का अद्यतन अचल सम्पत्ति विवरण उनके विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये। विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना सम्पत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करें एवं प्राप्त अचल सम्पत्ति विवरण विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया गया है। यह जानकारी प्रतिवर्ष वेबसाइट पर अद्यतन की जायेगी। यदि जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करने में कोई कठिनाई हो तो इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संपर्क कर कठिनाई का निवारण करायें।

